

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान ::
पीतासीन अधिकारी :- श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट)


-:आदेश:-


प्रार्थी के खाता दूरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मणीया पुत्र कृपा व भू.अ.नि. चिखली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार चिखली की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बोरमाला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 65 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरागद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	<u>बोरमाला</u>	<u>65</u>	<u>मणीया पुत्र कृपा</u> <u>मीणा</u>	<u>मणीया पुत्र कृपा</u> <u>मीणा</u>

कमा.क्र. 701-703
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चिखली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरागद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मणीया पुत्र कृपा मीणा
3. अज्ञित पत्रावली। मणीया पुत्र कृपा मीणा को सूचनार्थ।


 (श्रीकान्त व्यास)
 उपखण्ड अधिकारी,
 चिखली जिला डूंगरपुर
 दिनांक 01/09/22


 उपखण्ड अधिकारी,
 चिखली